निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

निर्णय दिनांक 18.02.2020

मु0नं0 104/18

1. अलीशेर खां पुत्र उमर खां
2. अमीना बानो पत्नी रूस्तम खां
3. जमीला पुत्री रूस्तम खां
4. जरिना पुत्री रूस्तम खां
5. जाकीर हुसैन खां पुत्र रूस्तम खां
6. जाफर खां पुत्र रूस्तम खां
7. फारूक खां पुत्र रूस्तम खां
8. माड़ी पुत्री रूस्तम खां
9. मोबिना बानों पत्नी हकीम खां
10. आजाद नबी पुत्र हकीम खां
11. मो. अयूब खान पुत्र हकीम खां
12. अकबर अली पुत्र हकीम खां
13. मो0 जब्बार पुत्र हकीम खां जातिगण कायमखानी निवासीगण किढ़वाना तहसील सूरजगढ़ जिला-झुंझुनूं (राज0)

——वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. इकबाल खां पुत्र रूस्तम खां जाति कायमखानी निवासी किढ़वाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

——————प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण—अजय कुमार एडवोकेट

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

तथ्य वाद इस प्रकार है कि ग्राम किढ़वाना के गत खसरा नम्बर 148/2 मी0 रकबा 4 बीघा 8 विश्वा, खसरा नं0 149/2 मी0 रकबा 6 बीघा, खसरा नं0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 30 बीघा 16 विश्वा जिसके पारसनगर के हाल ख0नं0 1 रकबा 7.57 है0, खसरा नं0 2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 7.62 है0 बने है। हाल ख0नं0 1, 2 की कृषि भूमि ग्राम पारस नगर में स्थित है। गत ख0नं0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा में बतौर महकमा कस्टोडियन उप कृषक के रूप में वादी नं0 1 के पिता व वादी नं0 2 लगायत 13 एवं प्रतिवादी नं. 2 के पूर्वज उमर खां वल्द भैरू खां जाति कायमखानी का नाम दर्ज चला आ रहा था तथा गत ख0 नं0 148/2 रकबा 4 बीघा 8 विश्वा एवं 149/2 रकबा 6 बीघा [illegible] उमर खां पुत्र भैरू खां जाति कायमखानी के नाम थी। उमर खां पुत्र भैरू खां [illegible] खानी विवादग्रस्त भूमि गत ख0नं0 148/2, 149/2, 148/1 पर काबिज [illegible] 148/2 व 149/2 की खातेदारी उमर खां पुत्र भैरू खां के नाम जमाबन्दी सम्[illegible]012 से चली आ रही थी गत ख0नं0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा पर वादी नं 1 के पिता व वादी नं. 2 लगायत 13 व प्रतिवादी नं0 2 के पूर्वज भैरू खां काबिज काश्तक[illegible]। राजस्व रिकार्ड में गत खसरा नं0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा महकमा कस्टोडियन उपकृषक भैरू खां पुत्र उमर खां जाति कायमखानी के नाम दर्ज थी। यह कि वादी नं0 1 के पिता व वादीगण 2 लगायत 13

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:45:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एवं प्रतिवादी नं0 2 के पूर्वज उमर खां वल्द भैरू खां गत ख0नं0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा पर काबिज काश्तकार थे तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर उपकृषक के रूप में दर्ज थें। उमर खां पुत्र भैरू खां ने गत ख0नं0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा का केन्द्रीय सरकार के नोटिफीकेशन दिनांक 06.04.1955 के द्वारा -उमर खां ने 459.04 रूपये फीस चालान दिनांक 24.06.1976 को राजकोष में जमा करवाये थे। जिसके एवज में तहसीलदार चिड़ावा ने उमर खां वल्द भैरू खां के नाम उक्त खसरा नम्बर 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा का सम्पूर्ण भूमि का एक सनद (पट्टा) जिसके कमांक नम्बर 102 दिनांक 24.06.1976 को जारी किया था। उक्त पटटे के आधार पर वादी नं. 1 के पिता व वादीगण 2 लगायत 13 एवं प्रतिवादी नं0 2 के पूर्वज उमर खां वल्द भैरू खां जाति कायमखानी निवासी किढ़वाना के नाम विवादग्रस्त भूमि गत ख0नं0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी दर्ज हो गई। यह कि सन 1977–78 में सेटलमेन्ट हुआ। सेटलमेन्ट अधिकारियों के बिना किसी आदेश व निर्णय के विवादग्रस्त भूमि गत खसरा न0 148/1 रकबा 20 बीघा 8 विश्वा हाल खसरा नं0 1 रकबा 7.57 है0 में से 0.19 है0 भूमि की खातेदारी महकमा कस्टोडियन (राजकीय सिवाय चक) दर्ज कर दी। जब कि उमर खां पुत्र भैरू खां के नाम सम्पूर्ण भूमि का पटटा जारी किया था। सेटलमेन्ट अधिकारियों की भूल से 0.19 है0 भूमि की खातेदारी राजकीय सिवाय चक दर्ज हो गई।

वाद पत्र-पेश कर निवेदन किया कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि पारसनगर के हाल ख0नं0 1 रकबा 7.57 है0 का रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर 0.19 है0 भूमि की सिवाय चक भूमि (महकमा कस्टोडियन) का नाम हजफ करने के आदेश फरमाया जावें। पारसनगर के हाल स0नं0 1 रकबा 7.57 है0 का रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर 0.19 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 के नाम दर्ज करने की घोषणा किये जाने के आदेश फरमाया जावें। वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को 0.19 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन भेजकर तारीख की सूचना दी गई बावजूद तामील प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये। जिसके कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में बयान शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 18 पेश किये। इसके पश्चात बहस वाद एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2012 से 2015, संवत 2016 से 2020 में विवादित भूमि गत खसरा नं0 148/1 महकमा कस्टोडियन दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 में भी यही प्रविष्ठी दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में हाल खसरा नं0 2 में राजकीय सिवायचक दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि दर्ज होने से वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके लिये अलग से कमेटी गठित की हुई है उसमें निस्तारण किया जाता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(अभिलाषा)
खण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:45:27 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner